न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 17/2018/225 आर टी ए

1. जगतारसिंह पुत्र काकूसिंह जाति मजहबी निवासी 4 एलकेएसबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. जीतसिंह पुत्र काकूसिंह जाति मजहबी निवासी 4 एलकेएसबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. गुरजन्टसिंह पुत्र काकूसिंह जाति मजहबी निवासी 4 एलकेएसबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– अपीलांट

बनाम

1. काकूसिंह जाति मजहबी निवासी 4 एलकेएसबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. कर्मजीतकौर पुत्री काकूसिंह पत्नि जगदीपसिंह जाति मजहबी निवासी 2 केएनडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 17.08.2016 व 10.07.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा प्र0सं0 54/2016 अनवानी जगतारसिंह बनाम काकूसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री धीरसिंह बराड़ अधिवक्ता अपीलांटस

श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2

श्री खुशकरण सिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3

निर्णय दिनांकः–18.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करते हुए इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि को भूमि रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करने व प्रार्थीगण/अपीलांट के कब्जा काश्त एवं भूमि के टयूबवैल के उपयोग व उपभोग मे बाधा कारित न करने का अनुतोष चाहा गया। जिसमे अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2016 को प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं भूमि के टयूबवैल के उपयोग व उपभोग मे बाधा कारित ना करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये तथा दिनांक 17.08.2016 को 25.07.2016 के आदेश मे रिकार्ड व यथास्थिति बनाये रखे जाने व शेष आदेश निरस्त करने आदेश पारित किये तत्पश्चात दिनांक 10.07.17 को दोनो पक्षो को ताफैसला वाद रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.08.16 व 10.07.17 विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड व मौका की स्थिति को देखे बिना आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली मे प्रस्तुत पैतृक सम्पति होने के सबूतो को नजरअंदाज करते हुये रेस्पो0 के नाम भूमि रिकार्ड मे दर्ज होने के आधार पर अपीलांटस को टयूबवैल के उपयोग व उपभोग से वंचित करने मे कानूनी भूल की है। कृषि भूमि मे लगे टयूबवैल के उपयोग व उपभोग हिस्सा अनुसार अपीलांटस टयूबवैल लगने के समय से उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है तथा उक्त भूमि के संबंध मे घोषणात्मक वाद अधीनस्थ न्यायालय मे लम्बित है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश विधि विरूद्ध पारित किया है जो खारिज योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान नही था दिनांक 30.12.2017 को अपीलांट/प्रार्थीगण टयूबवैल से पानी लगाने के लिये गये तो अप्रार्थी सं. 2 ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थीगण को पानी लगाने से मना किया कि उक्त भूमि पर टयूबवैल से पानी लगाने बाबत आपका स्थगन प्रार्थना पत्र काफी समय पहले खारिज हो चुका है तथा प्रार्थीगण को उक्त टयूबवैल से पानी लगाने से रोक दिया। तब अपीलांट ने दिनांक 11.01.2018 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त की तब सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। इसलिये अपील ज्ञान से अन्दर मानी जावें। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर चक 4 एलकेएसबी के खाता सं. 6 के प.न. 10/277 मु.न. 35 कि.न. 1 ता 25, प.न. 10/278 मु.न. 39 कि.न. 1 ता 4, 10 की भूमि को रहन, बैय व अन्तरण नही करे व उक्त विवादित भूमि के किला नं. 3 मे लगे नलकूप/टयूबवैल के उपयोग एवं उपभोग मे बाधा कारित न करें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। जबकि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की ज्ञान से शुरू से ही रहा है। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के समय अपीलांट प्रकरण मे उपस्थित था तथा उभय पक्ष की उपस्थिति मे ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य कतई निराधार एवं गलत है। इसलिये अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। जहां तक टयूबवैल से पानी लगाने की तर्क है तो टयूबवैल का विद्युत कनैक्शन काट दिया गया है जिसके कारण टयूबवैल नही चलाया जा सकता है। टयूबवैल विद्युत कनैक्शन काटे जाने के संबंध मे एक प्रार्थना पत्र विद्युत विभाग मे प्रस्तुत किया गया जिसमे विद्युत कनैक्शन काटे जाने नकल देने के आदेश बाबत अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त

करने का अधिकारी नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करते हुए इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि को भूमि रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करने व प्रार्थीगण/अपीलांट के कब्जा काश्त एवं भूमि के टयूबवैल के उपयोग व उपभोग मे बाधा कारित न करने का अनुतोष चाहा गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2016 को प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं भूमि के टयूबवैल के उपयोग व उपभोग मे बाधा कारित ना करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये तथा दिनांक 17.08.2016 को 25.07.2016 के आदेश मे रिकार्ड व यथास्थिति बनाये रखे जाने व शेष आदेश निरस्त करने आदेश पारित किये तत्पश्चात दिनांक 10.07.17 को दोनो पक्षो को ताफैसला वाद रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। अपीलांट द्वारा अपील मे विवादित भूमि के किला नं. 3 मे लगे टयूबवैल के उपयोग एवं उपभोग मे बाधा कारित न करने बाबत भी स्थगन आदेश चाहा है। जबकि टयूबवैल का विद्युत कनैक्शन संबंधित विद्युत विभाग द्वारा काट दिया गया है जिसके कारण टयूबवैल से पानी लगाना सम्भव नही है। इस प्रकार जब टयूबवैल चलाया ही नही जा सकता है तो अपीलांट टयूबवैल का उपयोग एवं उपभोग करने का प्रश्न ही नही है तथा ना ही टयूबवैल के संबंध मे कोई स्थगन आदेश दिया जाना उचित है। वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बाबत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय का स्थगन आदेश दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आधारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2016 व दिनांक 10.07.2017 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official